मध्य प्रदेश बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) नियम, 1993

THE MADHYA PRADESH CHILD AND ADOLESCENT LABOUR (PROHIBITION AND REGULATION) RULES, 1993

अधिसूचना क्र० एफ 4 (बी) 2-90-सोलह-ए , दिनांक 13 दिसम्बर 1993[1]—बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का सं० 61) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के पश्चात् एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार पूर्व में प्रकाशित किया जा चुका है, बनाती है, अर्थात्—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) नियम, 1993 है।

(2) यह ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं—इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का सं० 61);

(ख) ''प्ररूप'' से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

(ग) ''रजिस्टर'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 11 के अधीन रखे जाने के लिए अपेक्षित रजिस्टर;

(घ) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है अधिनियम से संलग्न अनुसूची;

(ङ) ''धारा'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा;

(च) अभिव्यक्ति ''अल्पव्य व्यक्ति'' का अर्थ होगा जो कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का सं० 63), में उसे उसके लिए समनुदेशित किया गया है।

3. रजिस्टर का रखा जाना—(1) किसी स्थापना का प्रत्येक अधिष्ठाता, काम करने के लिए नियोजित या अनुज्ञात बालकों के संबंध में, प्ररूप ''क'' में एक रजिस्टर बनाये रखेगा।

(2) रजिस्टर वार्षिक आधार पर बनाये रखा जाएगा और उसे नियोजक द्वारा, उसमें की गयी अन्तिम प्रविष्टि की तारीख के पश्चात् तीन वर्ष की कालावधि के लिये, रखा जायेगा।

4. आयु प्रमाणपत्र—(1) ऐसे सभी अल्पवय व्यक्तियों, जो अनुसूची के भाग ''क'' में वर्णित उपजीविकाओं में से किसी में या किसी कर्मशाला में, जहां अनुसूची के भाग ''ख'' में वर्णित प्रक्रियाओं में से कोई प्रक्रिया की जाती हो, नियोजन में है या नियोजन चाहते हैं, की जाये, तो समुचित चिकित्सा प्राधिकारी से आयु का प्रमाण पत्र जहां कहीं भी निरीक्षक द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाए, प्रस्तुत करेंगे।

(2) उप नियम (1) के प्रयोजन के लिये समुचित ''चिकित्सा प्राधिकारी'' ऐसा सरकारी चिकित्सक डाक्टर होगा जो किसी जिले के ''सहायक सर्जन'' के रैंक से नीचे का न हो या जो

---

1. म० प्र० राजपत्र, भाग 4 (ग), दिनांक 28-1-94, पृष्ठ 13-14 पर प्रकाशित।

Scanned by CamScanner

कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों या चिकित्सालयों में नियोजित समतुल्य रैंक का नियमित डाक्टर हो।

(3) उप नियम (1) में निर्दिष्ट आयु प्रमाण पत्र प्ररूप "ख" में जारी किया जाएगा।

(4) ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने के लिये चिकित्सा प्राधिकारी को देय फीस वही होगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अपने चिकित्सा बोर्डों के लिये विहित की गई है।

(5) चिकित्सा प्राधिकारी को उस बालक की देय कोई फीस, जिसकी आयु प्रश्नगत है, उसके नियोजक द्वारा संदत्त की जाएगी।

प्ररूप "क"

[नियम 3 (1) *देखिये*]

नियोजक का नाम और पता..... कार्य का स्थान.....

स्थापना द्वारा कराए जा रहे कार्य की प्रकृति.....

क्रम सं०	बालक का नाम	पिता का नाम	जन्म की तारीख	स्थायी पता	स्थापना में कार्य ग्रहण की तारीख
1	2	3	4	5	6

कार्य की प्रकृति, जिस पर यह नियोजित है	दैनिक कार्य के घंटे	विश्राम का अंतराल	संदत्त मजदूरी	टिप्पणियां
7	8	9	10	11

प्ररूप "ख"

[नियम 4 (2) *देखिये*]

आयु प्रमाण पत्र

प्रमाणपत्र संख्या.....

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मैंने (नाम)..... पुत्र/पुत्री/श्री..... निवासी..... का व्यक्तिगत रूप से परीक्षण किया है और यह कि उसने अपना चौदहवां वर्ष पूरा कर लिया है और उसकी आयु किसी भी परीक्षा से यथाशक्य निकटतम..... वर्ष पूर्ण अभिनिश्चित की जा सकती है उसका वर्णनात्मक चिन्ह ..... है।

बालक के अंगूठे की छाप/हस्ताक्षर.....

चिकित्सा प्राधिकारी

(पदनाम).....

स्थान.....

तारीख.....

Scanned by CamScanner